


14.6.18

पन्नावली कोट केकपडोव्यास
पर पेश। निर्यात आलासे लिखवा
जाकार शामिल पन्नावली निर्यात
जादा।

पन्नावली पेशवा सुमार होकर
जाकार सेवामें है



न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प ओज्याडा

पीठसीन अधिकारी:-रामावतार बरनाला (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या:- 58/17

1.कन्हैयालाल पिता मोहनलालजी ब्राह्मण निवासी औज्याडा

---प्रार्थीगण

बनाम

- 1.श्रीमति राजीदेवी पत्नी लैलाजी अहीर निवासी तख्तपुरा
- 2.शंकरलाल पिता मांगीलाल सुनार निवासी ओज्याडा
- 3.अमृतलाल पिता मांगीलाल सुनार निवासी ओज्याडा
- 4.नवरतन पिता मांगीलाल सुनार निवासी ओज्याडा
- 5.प्रकाशचंद्र पिता मांगीलाल सुनार निवासी ओज्याडा
- 6.राकेशकुमार पिता मांगीलाल सुनार निवासी ओज्याडा
- 7.प्रहलाद पिता मांगीलाल सुनार निवासी ओज्याडा
- 8.गोपाललाल पिता मोहनलाल ब्राह्मण निवासी ओज्याडा
- 9.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::


दिनांक:- 14/06/2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कैम्प ओज्याडा पर पेश प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पटवार हल्का ओज्याडा भू अभिलेख निरीक्षक हमीरगढ तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाडा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1381,1823/1, 2083, 2084, 2085/2, 2092/1, 2093/1 कुल किता 7 रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19/07/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की डेरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंधदान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का ओज्याडा भू अभिलेख निरीक्षक हमीरगढ की आराजी नम्बर 1381,1823/1, 2083, 2084, 2085/2, 2092/1, 2093/1 कुल किता 7 रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक हमीरगढ को 800/-रु० (अक्षरे- आठ सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार, हमीरगढ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ